



संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना

प्रथम तल, कृषि भवन, मीठापुर, पटना- 800001

E-mail ID- jdappbiharpatna@gmail.com

Mob no- 8825254227

पत्र संख्या- 04/पौ0सं0यो0उपा0-399/2026-568 /कृ० पटना दिनांक, 17-अगस्त 2026,
प्रेषक,

गोपाल शरण प्रसाद
संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,
बिहार, पटना।

सेवा में

सभी उप निदेशक, पौधा संरक्षण।
सभी सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत पौधा संरक्षण से संबंधित उपादान वितरण योजना का मार्गदर्शिका के अनुरूप योजना क्रियान्वयन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृतादेश संख्या-04/पौ0सं0यो0उपा0-399/2026 पी0पी0एम0-43 दिनांक 11.07.2026।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत पौधा संरक्षण से संबंधित उपादान वितरण योजना का मार्गदर्शिका इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

अतः आप सभी को निदेश दिया जाता है कि मार्गदर्शिका के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

गोपाल शरण प्रसाद 17/8/2026

(गोपाल शरण प्रसाद)

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं०-04/पौ०सं०यो०उपा०-399/2026 - 568 /कृ० पटना दिनांक 17-08-2026

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गोपाल शरण प्रसाद 17/8/2026

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं०-04/पौ०सं०यो०उपा०-399/2026 - 568 /कृ० पटना दिनांक 17-08-2026

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, (शष्प)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गोपाल शरण प्रसाद 17/8/2026

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं०-04/पौ०सं०यो०उपा०-399/2026 - 568 /कृ० पटना दिनांक 17-08-2026

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

गोपाल शरण प्रसाद 17/8/2026

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण
बिहार, पटना।

Acumy

90
ज्ञापांक सं०-०४/पौ०सं०यो०उपा०-३९९/२०२६ - ५६४

/कृ० पटना दिनांक १७-०८-२०२६

प्रतिलिपि:- उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण
बिहार, पटना।
17/8/2026

Acumg

कृषि विभाग पौधा संरक्षण।

पौधा संरक्षण से संबंधित उपादान वितरण योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मार्गदर्शिका।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-04/पौ0सं0यो0उपा0-399/2026 पी0पी0एम0-43 दिनांक 11.07.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत पौधा संरक्षण से संबंधित उपादान वितरण योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 809.17440 लाख (आठ करोड़ नौ लाख सत्रह हजार चार सौ चालीस) रुपये, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजना का कार्यान्वयन निर्गत स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची-1 एवं 4 के अनुसार किया जायेगा।

2. योजना का मुख्य उद्देश्य :-

हानिकारक कीटों के प्रबंधन के लिए पौधा संरक्षण से संबंधित उपादानों का अधिक से अधिक उपयोग कर विषरहित फसल उत्पादन किया जा सकेगा जिससे रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधूंध उपयोग को कम करते हुए किसानों की फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी।

3. इस योजना अंतर्गत कीट प्रबंधन हेतु किसानों को फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप एवं लाईफ टाईम ट्रैप के क्रय पर अनुदान कार्यक्रम स्वीकृत है।

4. लाभार्थी कृषक का चयन :-

- कृषि विभाग के डी0बी0टी0 पोर्टल पर निबंधित कृषक योजना के लक्ष्य के अंतर्गत पात्र होंगे।
- कीट प्रबंधन हेतु फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप एवं लाईफ टाईम ट्रैप की उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु इच्छुक कृषकों के समूह को प्राथमिकता दिया जायेगा।
- राज्य के किसान कहीं से भी कृषि विभाग, बिहार सरकार के पौधा संरक्षण से संबंधित वेबपोर्टल पर आनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

5. पौधा संरक्षण से संबंधित उपादानों के क्रय पर अनुदान हेतु आवेदन प्रक्रिया :-

- वैसे कृषक जिन्हें पौधा संरक्षण उपादानों की आवश्यकता है तथा उपादान के क्रय पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम www.dbtagriculture.bihar.gov.in (dbt portal) पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त वे विभागीय वेबसाइट <https://online.dbt.agriservice.bihar.gov.in/pp/index2.html> पर सीधे ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
- किसानों को ऑनलाईन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होगा।
(क) DBT Portal से प्राप्त Registration ID.
(ख) आवेदक का आधार कार्ड।
(ग) स्वघोषणा पत्र। (रैयत/गैर रैयत)
- कृषको द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन का भौतिक सत्यापन सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्राधिकृत कृषि समन्वयक के द्वारा 24 घंटों के अंदर करते हुए अपने डी0बी0टी0 लॉगइन से निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
- सभी आवेदनो के जाँचोपरान्त पात्र आवेदन को सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण के द्वारा अपने डी0बी0टी0 लॉगइन से स्वीकृत किया जायेगा।

- v. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा स्वीकृति उपरान्त किसानों के मोबाईल पर ओटीपी आधारित मैसेज प्राप्त होगा।
- vi. तदोपरान्त किसानों द्वारा चिन्हित विक्रेताओं से ओटीपी साझा कर उपादान का क्रय किया जा सकेगा।
- vii. जिला स्तर से चिन्हित विक्रेताओं के द्वारा उपादान विक्रय से संबंधित विपत्र (GST सहित) एवं जियो टैंग फोटो डी0बी0टी0 पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- viii. विक्रेताओं द्वारा अग्रसारित आवेदन के दस्तावेजों की जाँच सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा प्राधिकृत कर्मी/पदाधिकारी द्वारा करते हुए 24 घंटों के अंदर निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
- ix. सभी स्तरों से जाँचोपरान्त प्राप्त आवेदन को नियमानुसार सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा डी0बी0टी0 पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी।
- x. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा स्वीकृत आवेदन के आधार पर अनुदान की राशि का भुगतान SNA-SPARSH Module के माध्यम से सीधे संबंधित विक्रेता के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा।
- xi. संबंधित कर्मी के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन निष्पादित नहीं करने की स्थिति में आवेदन अगले स्तर पर स्वतः अग्रसारित हो जायेगा। ऐसी स्थिति में उक्त कार्य का निष्पादन नहीं करने के लिए संबंधित कर्मी/ पदाधिकारी के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के अनुशंसा पर जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इसकी सूचना कृषि निदेशक, बिहार, पटना को दी जायेगी।

6. पौधा संरक्षण उपादान पर अनुदान की विवरणी निम्नवत है :-

क्र० सं०	फसल	घटक	न्यूनतम दर (L-1) GST सहित प्रति सेट (रूपये में)	अनुदान @ 75% (रूपये में)	अधिकतम अनुदान प्रति एकड़
1	चना फली छेदक, बैंगन तना एवं फल छेदक तथा धान तना छेदक	फेरोमोन ट्रैप सेट (1 ट्रैप+3 ल्योर) @ 5 सेट प्रति एकड़	129	96	96x5=480
2	मक्का हेतु फॉलआर्मी वार्म		216	162	162x5=810
3	तंबाकू की सुंड़ी एवं टॉप बोरर हेतु		144	108	108x5=540
4	टमाटर का लीफ माइनर		237	177	177x5=885
5	गेहूँ का तना छेदक एवं सब्जियों में डायमंडबैक मॉथ		228	171	171x5=855
6	सभी फसल हेतु	स्टिकी ट्रैप सेट (ए-4 साईज पीला अथवा नीला) @ 12 सेट प्रति एकड़	40	30	30x12=360
7	सब्जी हेतु	सब्जी हेतु फ्रुट फ्लाय ट्रैप सेट (1 ट्रैप + 1 ल्योर) @ 5 सेट प्रति एकड़	204	153	153x5=765
8	फल हेतु	फल हेतु फ्रुट फ्लाय ट्रैप सेट (1 ट्रैप + 3 ल्योर) @ 5 सेट प्रति एकड़	221	165	165x5=825

- II. एक किसान को सभी सीजन हेतु अलग-अलग अधिकतम 05 एकड़ तथा टाल क्षेत्र के जिलों यथा पटना, नालन्दा, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर एवं मुंगेर के टाल क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ के लिए पौधा संरक्षण उपादान के क्रय पर अनुदान दिया जाएगा।
- III. योजना अंतर्गत स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का शत प्रतिशत उपलब्धि वित्तीय वर्ष समाप्ति तक किया जा सकेगा परन्तु कार्यान्वयन एजेन्सी के द्वारा योजना के विभिन्न घटकों का भौतिक उपलब्धि समानुपातिक रूप से सभी सीजन में किया जाएगा।

7. भुगतान की प्रक्रिया

- I. किसानों के द्वारा अनुदानित राशि को छोड़कर शेष राशि का भुगतान चयनित अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता को कर पौधा संरक्षण संबंधित उपादान का क्रय किया जा सकेगा।
- II. अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता को उपादान यथा फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप के क्रय मूल्य का 75 प्रतिशत अनुदानित राशि उनके बैंक खाते पर SNA-SPARSH Module के माध्यम से देय होगा।

8. आपूर्तिकर्ता का चयन :-

- I. वित्तीय वर्ष 2025-26 में पौधा संरक्षण संभाग द्वारा प्रकाशित निविदा संख्या 03/PP/2025 दिनांक 26.12.2025 में सफल कुल 04 विनिर्माताओं (Ultima search, Suraj Shree Chemicals Limited, Krishi vikash Sahkari Samiti and Innovac Bioscience Pvt.Ltd) द्वारा ही बिहार में इस योजना अंतर्गत उपादान का आपूर्ति किया जा सकेगा। विनिर्माताओं द्वारा योजना अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले पौधा संरक्षण उपादान की विशिष्टियों एवं न्यूनतम दर (L-1) स्वीकृत्यादेश के अनुसूची 04 के अनुरूप होगा।
- II. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा किसानों को उपादान आपूर्ति हेतु प्रखंडवार अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेताओं का चयन जिला स्तर पर किया जाएगा।

9. कर्मियों एवं पदाधिकारियों का दायित्व

9.1 कृषि समन्वयक

- I. योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन करना।
- II. किसानों को पौधा संरक्षण से संबंधित उपादान के उपयोग एवं लाभ के बारे में जानकारी देना।
- III. इच्छुक कृषकों को उपादान क्रय हेतु उपवांटित वित्तीय लक्ष्य के अधीन ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रेरित करना।
- IV. किसानों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित आवश्यक उपादान क्रय/उपयोग का स्थलीय जाँच कर पौधा संरक्षण कार्यालय को अग्रसारित करना।
- V. आवेदन में अंकित खेती योग्य जमीन का रकबा/मालिकाना हक (रैयत/गैर रैयत) का जाँच करना।
- VI. लाभार्थी के आवेदन को मार्गदर्शिका के शर्तों के अनुरूप स्वीकृत/अस्वीकृत करना।
- VII. पौधा संरक्षण उपादान की उपयोगिता का सत्यापन कर प्रतिवेदित करना।

9.2 प्रखंड कृषि पदाधिकारी

- I. पौधा संरक्षण से संबंधित योजनाओं का सघन रूप से पर्यवेक्षण करना।
- II. पौधा संरक्षण योजना के संचालन से संबंधित कोई भी अनियमितता प्राप्त होने की स्थिति में अविलम्ब सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण को सूचित करना।
- III. किसानों द्वारा पौधा संरक्षण उपादान से संबंधित ऑनलाइन आवेदन के निष्पादन से संबंधित कृषि समन्वयक का समीक्षा करना तथा कृषि समन्वयक द्वारा स्वतः अग्रसारित आवेदन होने की स्थिति में संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करना।

- IV. प्रखंड का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना।
V. मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित करना।

9.3 पौधा संरक्षण निरीक्षक/पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक

- I. अपने क्षेत्राधीन प्रखंडों में चलने वाले पौधा संरक्षण योजनाओं का सघन पर्यवेक्षण करना।
- II. पौधा संरक्षण उपादान यथा फरोमोन ट्रैप, लाईफ टाईम ट्रैप एवं स्टिकी ट्रैप के उपयोग एवं इससे होने वाले लाभ के बारे में कृषकों के बीच प्रचार-प्रसार करना एवं इच्छुक कृषकों का समूह तैयार करना।
- III. इच्छुक कृषकों को उपादान क्रय हेतु उपावटित वित्तीय लक्ष्य के अधीन ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रेरित करना।
- IV. योजना का शत प्रतिशत का उपलब्धि प्राप्त करने में सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, का सहयोग करना।

9.4 सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण

- I. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी होंगे। उनके द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए आवंटित लक्ष्य को प्रखण्डवार उपावटित कर कृषकों के बीच प्रचार-प्रसार हेतु प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार/पौधा संरक्षण कर्मी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. इस योजना अन्तर्गत निकासी एवं व्यय की गयी राशि का अलग रोकड़ पंजी संधारित किया जाएगा। जिसकी प्रविष्टि मुख्य रोकड़ पंजी में भी किया जाएगा।
- III. योजना का शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना संबंधित सहायक निदेशक पौधा संरक्षण की जिम्मेवारी होगी।
- IV. पौधा संरक्षण उपादान के आवेदन की अनुपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्ति हेतु जिला के कुल स्वीकृत वित्तीय लक्ष्य के अधीन प्रखंडों के लिए निर्धारित लक्ष्य में अन्तर परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।
- V. किसानों द्वारा पौधा संरक्षण उपादान यथा फेरोमोन ट्रैप, लाईफ टाइम ट्रैप एवं स्टिकी ट्रैप (पीला एवं नीला) के क्रय हेतु अनुज्ञप्तिधारी बिक्रेताओं का चयन प्रखण्ड एवं अनुमंडल स्तर पर ससमय सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा किया जाएगा।
- VI. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा योजना समाप्ति के उपरांत कार्यक्रम में लाभुकों की सूची को Google doc पर भेजते हुए संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण कार्यालय को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी भेजना सुनिश्चित की जायेगी।
- VII. कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र, कृषि निदेशक, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करावेंगे। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- VIII. योजनान्तर्गत अधीनस्थ जिलों के लक्ष्य का कम से कम 20 (बीस) प्रतिशत निरीक्षण सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के द्वारा किया जायेगा।

9.5 जिला कृषि पदाधिकारी

- I. योजना का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।
- II. सभी सहायक निदेशक पौधा संरक्षण प्रत्येक माह योजना का उपलब्धि प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।
- III. सभी कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी का योजना की प्रगति एवं आवेदन निष्पादन से संबंधित समीक्षा करेंगे।

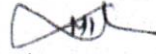
9.6 उप निदेशक, पौधा संरक्षण

- I. प्रमंडल स्तरीय उप निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा अपने क्षेत्राधीन जिलों में योजना का सघन पर्यवेक्षण एवं योजनान्तर्गत अधीनस्थ जिलों के लक्ष्य का 5 (पाँच) प्रतिशत निरीक्षण किया जायेगा।

- ii. योजनान्तर्गत अधीनस्थ जिलों के कार्यान्वयन एजेन्सी को भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का निराकरण हेतु प्रमंडलीय उप निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा आवश्यक पहल/कार्रवाई किया जाएगा।
- iii. अधीनस्थ जिलों के कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि में पिछड़ने पर संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पौधा संरक्षण भी उसके लिए समान रूप से जवाबदेह होंगे।

9.7 संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना

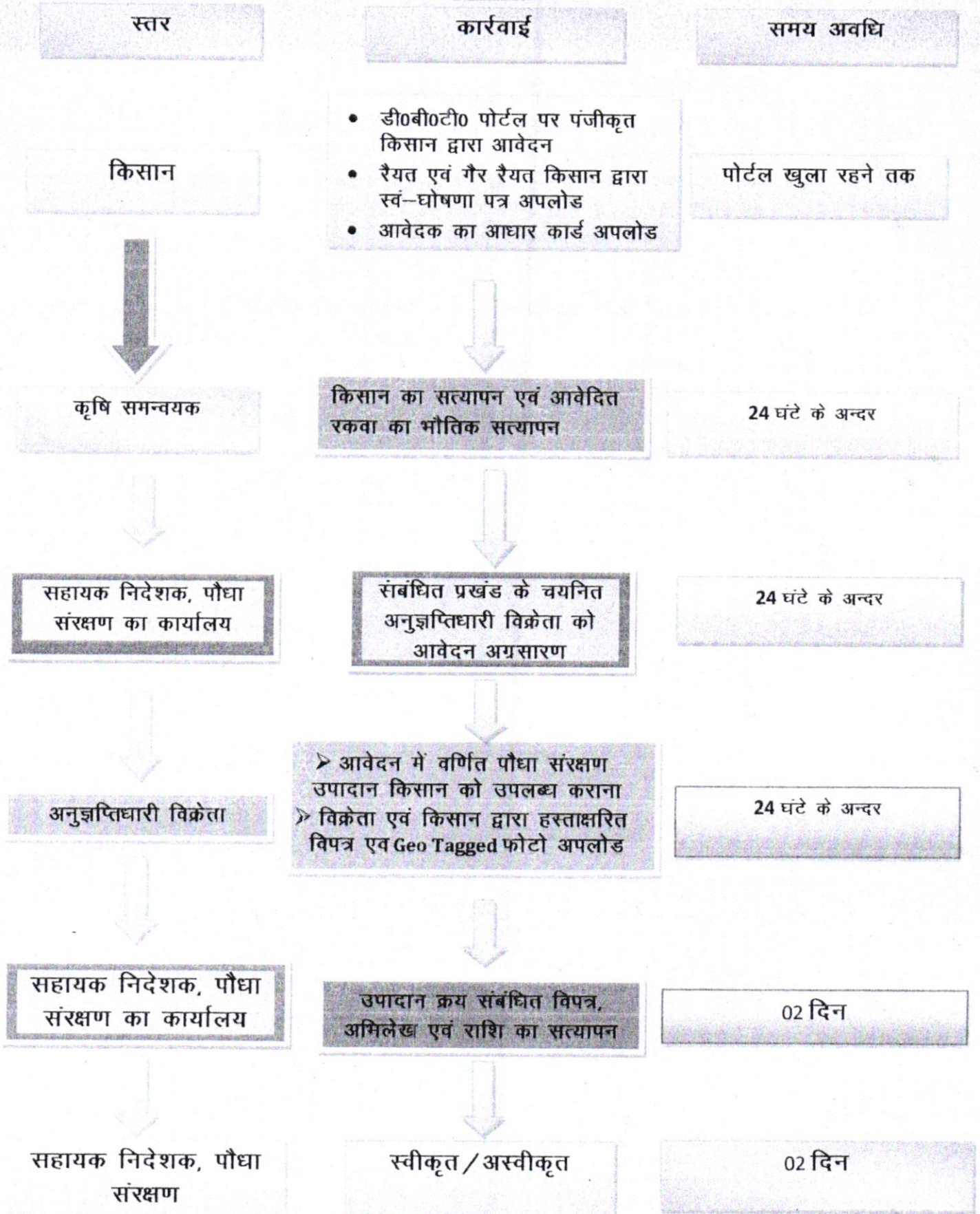
- i. पौधा संरक्षण उपादान वितरण योजना के सफल संचालन हेतु सघन पर्यवेक्षण एवं निगरानी किया जायेगा।
 - ii. उप निदेशक, पौधा संरक्षण, सर्वेलेन्स एवं आई0पी0एम0, पटना द्वारा योजनान्तर्गत राज्य के लक्ष्य का 2 (दो) प्रतिशत निरीक्षण किया जायेगा।
 - iii. सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा लक्ष्य की प्रतिपूर्ति नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जा सकेगा।
10. भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में विमुक्ति कोटिवार राशि के अनुपात 82.80 : 15.89 : 1.31 में प्रस्तावित किया गया है। उक्त अनुपात के अनुसार कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा योजना कार्यान्वित किया जायेगा।
 11. योजना कार्यान्वयन के क्रम में प्रशासी विभाग द्वारा भौतिक लक्ष्य जो कुल वित्तीय लक्ष्य के अधीन होगा, को आवश्यकता अनुसार संशोधित/अन्तर परिवर्तित किया जा सकेगा।
 12. योजना के सभी कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत्यादेश में निहित सभी शर्तों/निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


 (मुकेश कुमार लाल)
 कृषि निदेशक
 बिहार, पटना।

(2)

वित्तीय वर्ष 2026-27 में पौधा संरक्षण से संबंधित उपादान वितरण योजना का आवेदन प्रक्रिया

फ्लो चार्ट



✓

✓